

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड  
ननूरखेड़ा, देहरादून।


पत्रांक/04बे०स्थाप०/ 2761-2763 /स्थाना०आदेश/2024-25 दिनांक 19 जुलाई 2024  
विषय:- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनिवार्य एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेशों का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान सत्र वर्ष 2024-25 हेतु राजकीय प्राथमिक/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के अनिवार्य एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं कि उक्त स्थानान्तरित आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- अनिवार्य एवं अनुरोध स्थानान्तरण आदेश।

भवदीय

 19-07-24

(नागेन्द्र बर्त्वाल)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/04 बे०स्थाप०/ 2761-2763 /स्थाना०आदेश/2024-25 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1. एम०आई०एस० प्रभारी महानिदेशालय, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेशों को अपने स्तर से भी सम्बंधित अध्यापकों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।



जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।